





Order Sheet [Contd]

Case No. 183 of 2017.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	<p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री पीएस0 गुर्जर। फरियादी राकेश उपस्थित। फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत ड्रॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री पीएस0 गुर्जर ने की। उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को भंग रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्तगण पर भादवि0 की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के भंग संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तत्सदीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 एवं 506 बी भादवि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="411 1646 598 1758">  सदस्य </div> <div data-bbox="662 1713 742 1758">सदस्य</div> <div data-bbox="885 1624 1133 1803">  पीठासीन अधिकारी </div> </div>	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  राकेश </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  केशवसिंह Identity by me </div>